



सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, वडोदरा-1,  
Office of the Commissioner, Central Goods &  
Service tax, Vadodara-1,  
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर भवन, रेसकोर्स सर्कल,  
वडोदरा-390007  
Central Goods & Service Tax Building, Race Course  
Circle, Vadodara-390007




## व्यापार सूचना संख्या 15/2017

सभी व्यवसायियों का ध्यान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित परिपत्रों/आदेशों की ओर जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है (प्रतियाँ संलग्न)।

क्र.सं.	आदेश/परिपत्र संख्या	दिनांक	सारांश
1.	परिपत्र संख्या 10/10/2017-जीएसटी	18.10.2017	वस्तु के राज्य के भीतर स्थानान्तरण अथवा पंजीकृत राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति हेतु स्वीकृति के आधार पर वस्तु के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
2.	परिपत्र संख्या 13/10/2017-जीएसटी	27.10.2017	बिना सिले सलवार सूट के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
3.	परिपत्र संख्या 14/10/2017-जीएसटी	06.11.2017	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर 2017 के नियम 147 के अंतर्गत निर्यात के द्वारा डीटीए से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट (ईओयू)/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीओ) यूनिट/बायो टेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी) यूनिट द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति की प्राप्ति की कार्यवाही
4.	परिपत्र संख्या 15/10/2017-जीएसटी	06.11.2017	क्रमशः फॉर्म जीएसटीआर-1 तथा फॉर्म जीएसटीआर-2 फाइल करने की निर्धारित तारीख बढ़ाए जाने के अनुसार जीएसटीआर-2ए तथा फॉर्म जीएसटीआर-1ए को जनरेट करने की निर्धारित तिथि
5.	आदेश संख्या 9/2017-जीएसटी	15.11.2017	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर 2017 के नियम 117 के अंतर्गत फॉर्म जीएसटी टीआरएन-1 में दिए जाने वाले घोषणा-पत्र को जमा करने हेतु निर्धारित समय समय में वृद्धि
6.	आदेश संख्या 10/2017-जीएसटी	15.11.2017	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर 2017 के नियम 120ए के अंतर्गत फॉर्म जीएसटी टीआरएन-1 में दिए जाने वाले घोषणा-पत्र को जमा करने हेतु निर्धारित समय समय में वृद्धि

2. सभी ट्रेड एसोसिएशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आरएसी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वह इस व्यापार सूचना में दी गई जानकारी को अपने सभी सदस्यों के मध्य परिचालित तथा प्रचारित करें। यदि इस संबंध में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप उसे इस कार्यालय के ध्यान में ला सकते हैं।

  
(गौरव सिंह) 24/11/17

संयुक्त आयुक्त,  
केन्द्रीय कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,  
वडोदरा-1

फा.सं. IV/16-173/TradeNot.Cir/Tech/2015-16

वडोदरा, दिनांक: 23.11.2017

सेवा में,

1. मेलिंग लिस्ट के अनुसार।



केंद्रीय कर आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर वडोदरा - १ आयुक्तालय  
GST VADODARA-I COMMISSIONERATE  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर भवन, रेसकोर्स सर्कल . वडोदरा - ३९०००७  
GST BHAVAN, RACE COURSE, VADODARA- 390007


**TRADE NOTICE No. 15/2017**

Attention of all the Trade is invited to the following Circulars/Orders issued by the Central Board of Excise and Customs, New Delhi for information and necessary action (Copies attached).

Sr. No	Order/Circular No.	Date	Gist
1.	Circular No. 10/10/2017-GST	18.10.2017	Clarification on issues wherein the goods are moved within the state or from the state of registration to another state for supply on approval basis
2.	Circular No. 13/13/2017-GST	27.10.2017	Clarification on Unstitched Salwar Suits
3.	Circular No. 14/14/2017-GST	06.11.2017	Procedure regarding procurement of supplies of goods from DTA by Export Oriented Unit (EOU)/Electronic Hardware Technology Park(EHTO) Unit/Software Technology Park (STP) Unit/ Bio-Technology Parks(BTP) Unit under deemed export benefits under section 147 of CGST Act,2017
4.	Circular No. 15/15/2017-GST	06.11.2017	Due date for generation of FORM GSTR-2A and FORM GSTR-1A in accordance with the extension of due date for filing FORM GSTR-1 and GSTR-2 respectively.
5.	Order No. 9/2017-GST	15.11.2017	Extension of time limit for submitting the declaration in FORM GST TRAN-I under rule 117 of Central Goods and Service Tax Rules, 2017
6.	Order No. 10 /2017-GST	15.11.2017	Extension of time limit for submitting the declaration in FORM GST TRAN-I under rule 120A of Central Goods and Service Tax Rules, 2017

2.. All the Trade Association, Chambers of Commerce and Industry, members of RAC of this formation are requested to circulate and publicise the contents of this Trade Notice amongst their member constituents. Difficulties, if any, faced in this regard may be brought to the notice of this office.

3. Hindi Version would follow.

  
(Gaurav Singh)  
Joint Commissioner  
Central Tax & Central Excise  
Vadodara-I

F.No. IV/16-173/TradeNot.Cir/Tech/2015-16

Vadodara, Date: 23.11.2017

To,